रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2011/आषाढ़ 20, 1933

No. 384] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2011/ASADHA 20, 1933

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 528(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तारीख 14-10-1998 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 619(अ) को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित पशुओं को तमाशा दिखाने वाले पशुओं के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

1. भालू
2. बन्दर
3. बाघ
4. तेंदुआ
5. शेर
6. साँड

[फा. सं. 27-1/2011-एडब्ल्यूडी]

अंजनी कुमार, निदेशक (ए.डब्ल्यू)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2011

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Social Justice and Empowerment No. G. S.R. 619 (E), dated 14-10-1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby specifies that the following animals shall not be exhibited or trained as performing animals, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

1. Bears
2. Monkeys
3. Tigers
4. Panthers
5. Lions
6. Bulls

[F. No. 27-1/2011-AWD]

ANJANI KUMAR, Director (AW)

2606 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.